रा.मु., उदयपुर

ते. प. यो. 23

राजस्थान सरकार

वन विभाग

निविदा की निबन्धन तथा शर्त

1. राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियमावली, 1974 के समस्त उपबन्ध तत्समय प्रवृत तथा जहां तक कि वे क्रेताओं पर लागू होते है, निविदा के निबन्धनों तथा शर्तों के भाग के रूप में विशेषतः लागू होगें।

2. निम्नलिखित शर्तों तथा निबन्धनों पर 31.01.20..... को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि के लिये यथास्थिति राज्य सरकार उसके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता द्वारा उत्पादकों से परिदत्त तेन्दू पत्ते का क्रय तथा राजकीय वन एवं भूमियों से तेन्दू पत्ता संग्रहण काल में संग्रहण कर क्रय करने के लिये निविदाएं आमन्त्रित की जाती है।

3. इस सूचना के संलग्न प्रारूप में निविदा प्रस्तुत की जावेगी। यह निविदा प्रारूप किसी भी उप वन संरक्षक से प्रत्येक प्रारूप के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देनगी पर प्राप्त किया जा सकेगा। यह देनगी वन विभाग द्वारा रूपया स्वीकार करने के मान्यता प्राप्त तरीकों में से किसी एक के अनुसार की जावेगी।

4. जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो प्रत्येक इकाई के लिए एक पृथक निविदा होगी तथा कोई भी व्यक्ति या पक्ष एक इकाई के लिये एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा। उसी इकाई के लिये दो या उससे अधिक विभिन्न दरों की निविदाएं एक ही व्यक्ति या पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने पर उच्च दर की निविदा पर ही केवल विचार किया जावेगा तथा दूसरी निम्न दर/दरों की निविदा/निविदाओं के साथ वांछित रूप से जमा की गई बयाने की राशि का पूर्णतः अधिहरण कर लिया जावेगा। परन्तु यदि निम्न दर को निविदा के साथ वांछित रूप से बयाने की राशि जमा नहीं कराई गई तो उच्च दर की निविदा के साथ जमा की गई बयाने की राशि का अधिहरण कर लिया जावेगा तथा ऐसी दशा में उस उच्च दर की निविदा पर भी विचार नहीं किया जावेगा।

   इसके अतिरिक्त एक ही इकाई के लिये एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करने वाले ऐसे निविदाकार को प्रकरण में दुर्भावना पाये जाने पर ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, राज्य सरकार काली सूची में अंकित कर सकेगी।

5. अधिनियम तथा नियम द्वारा बीडी निर्माता या तेन्दू पत्ते के निर्यातक या आयातक के रूप में अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या पक्ष ही केवल क्रेताओं के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये हकदार होगा। निविदाकार उप वन संरक्षक से उनके द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र का क्रमांक तथा दिनांक का निविदा प्रारूप में वर्णन करेंगे।

   (1) किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष की ओर से प्रस्ताव देने या हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जब तक कि संभागीय मुख्य वन संरक्षक के समक्ष ऐसा व्यक्ति या पक्ष जो कि उसके लिए अथवा उनके लिए कार्य करने के सक्षम बनाता है, द्वारा निष्पादित की गई एटार्नी की शक्ति मूलतः प्रस्तुत न करें तथा उसकी प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न करें अथवा जिस फर्म का भागीदार होने का वह दावा करता है, उसके रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र एवं भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि प्रस्तुत न करें।

   (2) कोई भी व्यक्ति अथवा पक्ष जिस पर कि कोई राजकीय धनराशि बकाया है अथवा जिसे काली सूची में दर्ज किया जा चुका है अथवा निविदाऐं देने से प्रतिबन्धित है ऐसे प्रतिबन्ध प्रभावशाली रहने तक निबिदाएं नहीं दे सकेगा, यदि निविदा/निविदांए प्रस्तुत की जावेगी तो अवैध मानी जावेगी तथा ऐसी निविदाओं के साथ वांछित रूप से जमा की गई बयाने की राशि का पूर्णतः अधिहरण कर लिया जावेगा।

   (3) किसी व्यक्ति अथवा पक्ष, जो अवयस्क हो, दिवालिया हो अथवा जो सदाचार के पतन के अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध हुआ हो, द्वारा प्रस्तुत निविदा/निविदाएं अवैध मानी जावेगी तथा ऐसी निविदाओं के साथ वांछित रूप से जमा की गई बयाने की राशि का पूर्णतः अधिहरण कर लिया जावेगा।

6. (1) प्रत्येक निविदा के साथ सम्बन्धित सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक या उप वन संरक्षक के पक्ष में बयाने की धन राशि के रूप में ''राजस्व निक्षेप'' शीर्षक खाते में भरण की गई धनराशि की प्राप्ति का कोषागार का चालान अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अथवा/अन्य राष्ट्रीयकृत बैकों का डिमाण्ड ड्राफ्ट होगा। बयाने की धनराशि क्रेता द्वारा दी गई निविदा राशि के 10 प्रतिशत जो किसी भी दशा में रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) से कम नहीं होगी के बराबर अथवा उससे अधिक होगी।

(2) निविदाकार उपरोक्त बयाने की रकम एक ही वन मण्डल की अनेकों इकाईयों के लिये एक चालान अथवा एक बैंक ड्राफ्ट द्वारा निक्षेप कर सकता है तथा उसका क्रमांक और दिनांक संबंधित इकाईयों के निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित करेगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार विभिन्न इकाईयों के लिये प्रस्तुत निविदाओं में जमा की गई धन राशि के विवरण का पत्रक यथास्थिति एक चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट के साथ संलग्न करेगा।

(3) बयाने की रकम पर किसी भी दशा में कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

7. (1) निविदाकार ऐसी शुद्ध राशि, GST/आयकर/मण्डी कर, अन्य कर एवं संग्रहण व्यय को छोडकर, प्रस्तावित करेगा। जिस पर उस इकाई में राजकीय वन तथा भूमियों से तेन्दू पत्ता एकत्रित कर परिवहन करेगा तथा वह मात्रा भी परिदान में लेगा जो उसे राज्य सरकार उसके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय करने के उपरान्त कच्चे रूप में बिना बोरे में भरे हुए होंगे तथा क्रेता के करारनामें में निहित विधि के अनुसार खरीदी जावेगी।

(2) क्रेता तेन्दू पत्ता संग्रहण के समय तेन्दू के वृक्ष की छोटी डालियां व कच्ची पत्तियों को अनावश्यक रूप से क्षति नहीं पहुंचायेगा, अगर क्रेता इस प्रकार की त्रुटि ठेका सत्र में तीन बार करेगा तो संबंधित उप वन संरक्षक को ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।

(3) (I) प्रत्येक निविदाकार प्रत्येक इकाई के लिये जिसके क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहता है, निविदा प्रारूप एवं वांछित अन्य प्रपत्रों के साथ इस निविदा सूचना के संलग्न प्रारूप में इकरारनामा निष्पादित करके संलग्न कर शर्त 8 में बताए अनुसार प्रस्तुत करेगा।

(II) निविदा के साथ उपरोक्त प्रपत्र निष्पादित नहीं करने की अवस्था में ऐसी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा के साथ वांछित रूप से जमा की गई बयाने की राशि को पूर्णतः अधिहरण कर लिया जावेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ऐसी कालावधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो काली सूची में अंकित कर सकेगी।

8. सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा बन्द मुहरबन्द लिफाफे जिसमें निम्न शब्द एवं पता लिखा, होगा, रखी जावेगी।

(अन्दर का लिफाफा)

तेन्दू पत्ता क्रय करने हेतु निविदा

मण्डल ..... रेन्ज ..... यूनिट का क्रमांक एवं

नाम ..... दिनांक .....

जब निविदा प्रस्तुत की गई या भेजी गई हो .....

पता :– श्री .....

मुख्य वन संरक्षक ..... संभाग .....

डाकघर .....

9. उपरोक्त लिफाफा एक दूसरे तथा मुद्रांकित लिफाफे में रख कर निम्नलिखित शब्दों तथा पते सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

(बाहरी लिफाफा)

तेन्दू पत्ता क्रय करने हेतु निविदा

पता :– श्री .....

मुख्य वन संरक्षक .....संभाग .....

डाकघर .....

टिप्पणी :– भीतरी एवं बाहरी लिफाफे में उस मुख्य वन संरक्षक का नाम अंकित करे, जिसके अधिकार क्षेत्र में इकाई स्थित है।

(1) निविदा को आधारित करने वाला लिफाफा, जिस पर कि उस सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक का पता होगा जिसके कि क्षेत्राधिकार में वह इकाई स्थित हो अथवा उनके कार्यालय अधीक्षक को या उस उप वन संरक्षक को जिसके कि क्षेत्राधिकार में वह स्थित हो पेश किया जा सकता है या डाक द्वारा ''रजिस्ट्रीकृत प्राप्त अभिस्वीकृति'' से भेजे जाएं ताकि वे निविदा खोलने की दिनांक से पूर्व तक पहुंच जाएं।

(2) सशर्त निविदा, दूर लेख (ईमेल) अथवा विहित रीति के अतिरिक्त अन्य किसी रीति द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी।

(3) निश्चित समय दिनांक के पश्चात प्राप्त अथवा पेश की गई निविदाएं ग्रहण नहीं की जावेगी।

10. (क) संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा उनके संभाग की निविदाएं निविदाकारों के समक्ष जो कि उपस्थित होना चाहें निर्धारित समय या तिथि पर उनके कार्यालय में खोली जावेगी।

मुख्य वन संरक्षक (संभाग)	स्थान जहां कि निविदाएं खोली जावेगी	निविदाओं के खोलने का समय और दिनांक	टिप्पणियां
1	2	3	4

(ख) निविदाकार को वन मण्डल की निविदा खुलना प्रारम्भ होने से पूर्व निम्नलिखित शर्त पर मण्डल की किसी भी इकाई की अपनी निविदा प्रत्याहरण करने की अनुमति दी जा सकेगी :–

(1) कि बची हुई निविदाओं को खोलने पर कम से कम एक वैद्य सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा उस इकाई के लिये विचारार्थ उपलब्ध रहेगी।

(2) कि इस निविदा के साथ निविदा सूचना की शर्त 6 के अनुसार जमा अग्रिम धन अधिहस्त कर लिया जावेगा।

11. जिस निविदाकार की निविदा खोल ली गई है वह अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबन्धनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य होगा जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते एवं नियुक्त क्रेता द्वारा निविदा शर्त सं0 20(1) की पालना में राशि एवं बैंक गारण्टी दखल से पूर्व जमा नहीं करा दी जाती। इस शर्त का उल्लंघन करने पर ऊपर दी शर्त के अन्तर्गत भरणा करने के लिए अपेक्षित जमा बयाने की रकम जप्त कर ली जावेगी तथा उसे ऐसी कालावधि के लिए जो कि तीन वर्ष से अधिक न हो राज्य सरकार काली सूची में अंकित कर सकेगी। इसके अतिरिक्त निविदाकार जिसने अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस लिया है, उस इकाई के पश्चातवर्ती निवर्तन से राज्य सरकार द्वारा उठाई गई हानि, यदि कोई हो, तो हानि की रकम उससे भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली के योग्य होगी परन्तु यदि पश्चातवर्ती निवर्तन में अधिक राशि प्राप्त होती है तो उस अधिक राशि पर निविदाकार का कोई अधिकार अथवा दावा नहीं होगा, हानि की संगणना हेतु अधोलिखित सूत्र का उपयोग किया जावेगा। हानि की राशि (रूपयों में) (=) निविदाकार द्वारा वापस ली गई निविदा की राशि (–) पश्चातवर्ती निवर्तन से प्राप्त आय की राशि (जिसमें संग्रहण व्यय, विक्रय कर एवं अन्य कर सम्मिलित नहीं है)।

टिप्पणी :– यदि उस इकाई का पश्चातवर्ती निर्वतन नहीं होता है तो निविदाकार से वह राशि वसूली योग्य होगी जो, निविदाकार द्वारा वापस ली गई निविदा राशि (–) तेन्दू पत्ता के विभागीय संग्रहण से प्राप्त आय (जिसमें विभाग द्वारा पत्तों के संग्रह पर किया गया वास्तविक व्यय, विक्रय कर एवं अन्य कर सम्मिलित नहीं है)।

12. राज्य सरकार ऐसी प्राप्त की गई समस्त निविदाओं या उनमें से किसी भी निविदा को उस संबंध में कोई भी कारण बतलाये बिना स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। असफल निविदाकार की दशा में बयाना लौटा दिया जावेगा तथा सफल निविदाकार के संबंध में वह शर्त 16 के उपबन्ध के अनुसार प्रतिभूति निक्षेप की देनगी के रूप में शर्त 17 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार समायोजित की जायेगी।

13. यदि किसी विशिष्ट इकाई के लिये वही दर एक से अधिक निविदाकारों द्वारा प्रस्तावित की जाती है तो ऐसी निविदाओं के खोलने के तुरन्त पश्चात मुख्य वन संरक्षक उस इकाई के उन निविदाकारों का जो कि उपस्थित हो तथा जिन्होनें समान दर प्रस्तावित की हो, अपने प्रस्ताव में वृद्धि करने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा ऐसे बढे हुए अधिकर्ता प्रस्ताव पर स्वीकृति या अन्यथा के लिये विचार किया जावेगा। प्रस्ताव में वृद्धि करने की अस्वीकृति की दशा में निविदाकार जिसकी कि निविदा स्वीकार की जानी चाहिये, पर्ची डालकर विनिश्चिय किया जावेगा।

14. यदि किसी इकाई या किन्ही इकाईयों के लिये प्राप्त हुई निविदाओं को स्वीकार करने योग्य न समझा जाये या किसी इकाई या किन्ही इकाईयों के लिए कोई निविदाएं प्राप्त न हुई हो या किसी भी यूनिट या यूनिटों के लिये आई निविदा एवं किसी भी कारण अमान्य हो तो राज्य सरकार ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर जिनका परस्पर करार हो जाय, किसी व्यक्ति या पक्ष या व्यक्तियों या पक्षों को ऐसी इकाई या इकाईयो के लिये क्रेताओं के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसी नियुक्तियां उन व्यक्तियों तक जिन्होंने कि ऐसी इकाई या इकाईयों के लिये निविदाएं प्रस्तुत की हों सीमित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सफल निविदाकार को लागू होने वाली समस्त शर्तें क्रेताओं के रूप में नियुक्त व्यक्तियों या पक्षों को यथोचित परिवर्तन करके लागू होंगी।

15. सफल निविदाकार विशिष्ट इकाई के लिये क्रेता के रूप में नियुक्त किया जावेगा और तेन्दू पत्ते का ऐसा सम्पूर्ण परिमाण जो कि इकाई से क्रय तथा संग्रहित किया गया हो या जिसे क्रय तथा संग्रहित किये जाने की संभावना हो या उसमें ऐसा कम परिमाण जो कि राज्य सरकार, उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा ऐसी इकाई में क्रेता को दिया जावे उसके द्वारा ऐसी रीति में निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कि क्रेता द्वारा किये जाने वाले संलग्न करार में उल्लेखित है, क्रय किया जावेगा।

16. (क) इस प्रकार क्रेता नियुक्त किये जाने पर, नियुक्ति के आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर उसे निर्धारित फार्म में इकरार निष्पादित करना होगा, जिसे निष्पादित न करने पर नियुक्ति रद्द किये जाने के दायित्वहीन होगी और इस प्रकार नियुक्ति रद्द कर दिये जाने पर बयाने के रूप में जमा की गई रकम का अधिग्रहण कर लिया जावेगा तथा राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिये जो तीन साल से अधिक न हो काली सूची में दर्ज कर सकेगी इसके अतिरिक्त क्रेता, जिसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई हो उस इकाई के तेन्दू पत्तों के पश्चातवर्ती निवर्तन से राज्य सरकार द्वारा उठाई गई हानि यदि कोई हो तो सहन करेगा और यदि वह हानि मांग नोटिस के ज़ारी होने के 15 दिन के भीतर न जमा की हो तो हानि की रकम उनसे या उसके प्रति–भू से भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली के योग्य होगी। परन्तु यदि पश्चातवर्ती निवर्तन में अधिक राशि प्राप्त होती है, तो उससे अधिक राशि पर क्रेता को कोई अधिकार अथवा दावा नहीं होगा। हानि की संगणना हेतु अधोलिखित सूत्र का उपयोग किया जावेगा।

हानि की राशि (रूपयों) में (=) रकम जो क्रेता की नियुक्ति का आदेष निरस्त न किये जाने पर राज्य सरकार को मिलती अर्थात मूलतः स्वीकृत राशि (–) विक्रय राशि जिसमें संग्रहण व्यय, विक्रय कर एवं अन्य कर सम्मिलित नहीं है। यदि इकाई का बाद में निवर्तन हुआ है।

टिप्पणी :– यदि उस इकाई का पश्चातवर्ती निवर्तन नहीं होता, तो विगत क्रेता से वह राशि वसूली योग्य होगी जो मूलतः स्वीकृत राशि (–) तेन्दू पत्ते के विभागीय संग्रहण से प्राप्त शुद्ध आय (जिसमें विभाग द्वारा पत्तों के संग्रहण पर किया गया वास्तविक व्यय विक्रय कर एवं अन्य कर सम्मिलित नहीं है)।

(ख) जो इकाईयां विलम्ब से क्रय की जावेगी उनके क्रेता इकरारनामों में अधोलिखित अतिरिक्त शर्त होगी– इस करार का निष्पादन क्रेता द्वारा विलम्ब से किया गया है परन्तु उसने वांछित समस्त कार्यों की पूर्ति की है तथा उसके दोनों के लिये वह उत्तरदायी होगा। क्रेता इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठावेगा कि उसकी नियुक्ति विलम्ब से होने के कारण अथवा इकरार का निष्पादन उसके द्वारा विलम्ब से किये जाने के कारण शाखा कर्तन वांछित रूप से नहीं कर सकने के कारण राज्य सरकार को होने वाली क्षति के लिये अथवा उससे संबंधित अर्थदण्ड के लिये वह उत्तरदायी नहीं है।

17. (I) किसी विशिष्ट इकाई तथा किसी विशिष्ट वर्ष के लिये इस प्रकार नियुक्त किये गये क्रेता या क्रेतागण करार पर हस्ताक्षर करने के पूर्व करार के निबन्धनों तथा शर्तों को एवं अधिनियम एवं नियम तथा इन शर्तों के उपबन्धों के उचित अनुवर्तन के लिये करार की कालावधि तक के लिये गारन्टी के तौर पर प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में ऐसी राशि जमा करेगा जो स्वीकृत धनराशि (क्रय राशि) के 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) के बराबर हो। उपरोक्त रूप से संगणन की गई राशि नियुक्ति के आदेश में बताई जावेगी।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप अमानत राशि समायोजन उपरान्त शेष 15 प्रतिशत संबंधित उप वन संरक्षक को अन्तरित किये गये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बैंक गारण्टी के रूप में संबंधित उप वन संरक्षक के नाम से राजस्व निक्षेप की शक्ल में होगा।

(III) यह प्रतिभूति निक्षेप यथास्थिति या तो पूर्णतः या अशंतः उप वन संरक्षक द्वारा अधिनियम, नियमावली इकरार तथा इन शर्तों के उपबन्ध के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो के प्रति समायोजित की जा सकती है, और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति द्वारा उसी आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जायेगी।

(IV) यदि क्रेता से वसूल किये जाने वाले बकाया शोध्य प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो तो अधिक होने वाली रकम जब तक कि उसकी पूर्ति उप वन संरक्षक की उस आशय की सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाय भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(V) यथास्थिति प्रतिभूति निक्षेप या शेष रकम उप वन संरक्षक द्वारा यह समाधान करने के पश्चात कि क्रेता ने इकरार अधिनियम नियमावली तथा इस सूचना की शर्तों के अन्तर्गत समस्त निबन्धनों तथा औपचारिकताओं के निर्वाहित किया है और यह भी उसके विरूद्ध कोई देय धन बकाया नहीं है, क्रेता को लौटा दी जावेगी या अन्तिम किश्त जमा तिथि से पूर्व ठेका शर्तों के उल्लंघन नहीं पाये जाने की दशा में संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा अन्तिम किश्त राशि में समायोजित की जा सकेगी।

18. क्रेता निजी उत्पादकों से तेन्दू पत्तों को कच्चे रूप में तथा बोरों में भरे बिना क्रय करेगा और उनका परिदान संग्रहण केन्द्र या केन्द्रों पर लेगा, ऐसे अन्य स्थान पर लेगा जो कि या तो क्रेता के करार में उल्लेखित हो या क्रेता करार के चालू रहने के दौरान सहायक वन संरक्षक से निम्न न हो, पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर लिखित में प्रज्ञापित किये गये हों।

19. यदि परिदान तथा क्रय के लिये निर्दिष्ट समस्त निबन्धनों का सम्यकरूपेण पालन–परिपालन नही किया है तो यहा समझा जावेगा कि पत्ते परिदान अथवा क्रय नहीं किये है।

20. यदि क्रेता पत्ते को इकाई के भीतर अपने गोदामों में अथवा उप वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के पदाधिकारी द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित इकाई के बाहर परन्तु उसी मण्डल के भीतर स्थित गोदाम के निरापद रखने के लिए लिखित रूप से सहमत होता है अथवा परिदत्त पत्ते पर विभाग से संबंधित ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर लिये गये किराये के गोदाम मे रखे जावें जैसा कि पारस्परिक सहमति द्वारा निश्चित किया जावे अथवा क्रेता पत्तों को राज्य के किसी अन्य वन मण्डल में स्थित अपने गोदामों में संबंधित उप वन संरक्षक जिसके क्षेत्राधिकार में वह इकाई स्थित हो, से अनुमोदित करा के उप शर्त (2) में वर्णित शर्तों तथा निबन्धनों पर पत्ता रखने के लिये अपनी लिखित इच्छा व्यक्त करता है तो उसे निम्न शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन पत्तों को लेने तथा उन्हें निरापद अभिरक्षा के लिये परिवहन करने की अनुमति दी जा सकती है।

क्रेता समस्त पत्ते के क्रय मूल्य का भुगतान निम्नानुसार करेगा :–

(1) आंशिक क्रय मूल्य जो 10% एवं समस्त कर सहित होगा का भुगतान क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा 15.04.20..... तक किया जावेगा शेष 90% क्रय मूल्य राशि एवं देय समस्त करों की राशि के योग के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत की जावेगी तभी निविदादाता को पत्ता संग्रहण हेतु दखल जारी किया जावेगा।

(2) शेष क्रय मूल्य का भुगतान निम्नलिखित तिथियों तक अनुमानतः 3 बराबर किश्तों में क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा या बैंक गांरटी से वसूली का सहमति पत्र प्रस्तुत कर किया जावेगा।

किश्तों की तिथियां

प्रथम	द्वितीय	तृतीय
01 अक्टूबर, 20.....	01 नवम्बर, 20.....	01 दिसम्बर, 20.....

(3) देय विक्रय मूल्य के साथ विक्रय कर एवं अन्य कर भी क्रेता से वसूल किया जावेगा।

(4) देय विक्रय कर या अन्य कर का भुगतान न करने पर 16 प्रतिशत की दर से विलम्बित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा।

(5) शर्त सं. 20(1) अनुसार अनुसूचित बैंको की बैंक गारंटी संबंधित उप वन संरक्षक के नाम पर 31 मार्च 20..... तक की अवधि की क्रेता द्वारा दिये जाने पर यथास्थिति गोदाम में रखे समस्त पत्तों को क्रेता को उसकी सुविधानुसार मुक्त किया जावेगा। परन्तु क्रेता को देय क्रय मूल्य का भुगतान शर्त सं. 20(2) में निहित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथियों को करना होगा। निविदा शर्तों की खिलाफवर्जी से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त बैंक गारण्टी निविदाकार को यथा स्थिति (किश्त राशि में समायोजन उपरान्त शेष) प्रतिभूति निक्षेप राशि के साथ लौटाई जावेगी।

21. क्रेता ऐसे लेखे ऐसे प्रपत्रों में रखेगा तथा ऐसे दिनांक को जो कि इकरार में उल्लेखित किये जाएं या समय–समय पर उप वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये जाऐ या उप वन संरक्षक द्वारा निर्देश दिये जाए उनकी पालना करेगा तथा नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

22. क्रेता इकाई के भीतर उसके द्वारा सेवा में रखे गये व्यक्तियों की सूची उनके नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे समस्त व्यक्ति जिनके संबंध में उप वन संरक्षक द्वारा आपत्ति की जाती है क्रेता द्वारा सेवा से पृथक कर दिये जावेंगे।

23. ऐसे क्रेता जिसने कि अधिनियम, नियम अथवा इकरार की किन्ही शर्तों पर उल्लंघन किया हो जिनके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत यह दंडित किया गया हो या उसके करारनामें को समाप्त कर दिया गया हो, तो वह राज्य सरकार द्वारा काली सूची में ऐसी अवधि के लिये जो 5 साल तक हो सकता है नाम लिखे जाने के लिये दायित्वाधीन होगा तथा उसे राजस्थान में किसी भी इकाई के लिये क्रेता नियुक्त न किया जा सकेगा।

24. क्रेता राज्य सरकार के पूर्वलिखित अनुमति के बिना इस अनुबन्ध को किसी अन्य व्यक्ति/पक्ष को नहीं सौंपेगा और न ही हस्तान्तरित करेगा किन्तु तेन्दू पत्ता की इकाईयों का हस्तान्तरण बिक्री एवं व्ययन समिति की अनुमति से दखल से पूर्व तक संबंधित संभागीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में इकाई हस्तान्तरित की जावेगी, से इकाई के कुल क्रय मूल्य की 2 प्रतिषत धन राशि शुल्क के रूप में अग्रिम वसूल की जावेगी।

25. निविदा देने के कार्य को इन शर्तों के बिना शर्त की स्वीकृति समझी जावेगी।

26. राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन प्रत्येक वन मण्डल में गठित इकाईयों की सूची तथा विवरण राजस्थान राजपत्र विशेषांक .....दिनांक .....में प्रकाशित किये जा चुके है।

27. इकाईयों के नक्शे, विगत वर्षो के तेन्दू पत्तों के संग्रहण एवं विक्रय से प्राप्त राशि की मात्रा तथा अन्य विवरण संबंधित उप वन संरक्षक के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखे जा सकते है।

7

7

28. इन निविदा में "संग्रहण व्यय" से तात्पर्य संबंधित वर्ष के लिए निश्चित की गई राजकीय वन तथा भूमियों से या निजी भूमियों से तेन्दू पत्ते तोडकर लाने की मजदूरी एवं अभिकर्ता को देय हस्तन व्यय तथा पारिश्रमिक के योग से है। निविदाकार को राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 की धारा 6 के अधीन निश्चित की गई संग्रहण दर मजदूरों को चुकानी होगी। क्रेता सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित संग्रहण दर से ही प्रतिदिन श्रमिकों को देय पारिश्रमिक का भुगतान विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में करेगा। संग्रहण दर का प्रकाशन राजस्थान राज–पत्र में कर दिया जावेगा तथा इसकी जानकारी संबंधित उप वन संरक्षक के कार्यालय से की जा सकती है।

29. (1) (क) क्रेता निजी उत्पादकों से तेन्दू पत्तों को कच्चे रूप में तथा बोरों में भरे बिना क्रय करेगा और उनका परिदान संग्रहण केन्द्रों पर लेगा ऐसे अन्य स्थान पर लेगा, जो कि या तो क्रेता के करार में उल्लेखित हो या क्रेता के करार के लागू रहने के दौरान किसी भी ऐसे अधिकारी को जो कि सहायक वन संरक्षक के पद से निम्न न हो द्वारा समय–समय पर लिखित में प्रकाशित किय गये हो।

(ख) क्रेता को परिदान के लिये सम्भावित मात्रा के लिये अधोलिखित दरों से उप वन संरक्षक या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को परिदान के समय अथवा उससे पूर्व नकद में भुगतान ऐसे पदाधिकारी से रसीद प्राप्त करके करना पडेगा :–

	मद	दर प्रति मानक बोरा
1.	राज्य सरकार को छोडकर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीद की दर	_____
2.	राजकीय अभिकर्ता को देय हस्तन व्यय	_____
3.	राजकीय अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक	_____

(2) क्रेता उक्त राज–पत्र प्रकाशित केन्द्रों पर व उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित केन्द्रों पर तथा करार चालू रहने के दौरान उप वन संरक्षक द्वारा समय–समय पर लिखित में प्रज्ञापित किये जाने वाले केन्द्रों पर राजकीय वन तथा भूमियां से तेन्दू पत्ते का संग्रहण करेगा। क्रेता एवं पत्तों की तुडाई के लिये मजदूरों को रू. ..... प्रति मानक बोरा की दर से तत्काल भुगतान करेगा तथा उसका लेखा रखेगा।

मुख्य वन संरक्षक

_____संभाग

_____